

/122999/2023

CE(P)

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभागMD
23/05/23

ई पत्रावली संख्या- 49198

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1593 SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (विवेक)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

इं० जीवन सिंह ह्यांकी
वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर देहरादून:

दिनांक 18 मई, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- धनसाली, धनोल्दी, प्रताप नगर एवं नरेन्द्र नगर में पूर्व निर्मित विभिन्न क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' क्लास लोडिंग (डेड लेन) सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनमें सेतुओं की लागत ₹ 173.44 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **₹173.44 लाख (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 23 कार्य हेतु **₹ 2.30 लाख (रूपये दो लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD)01टी.सी.॥ दिनांक 05.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-1403/III(2)/21-8(सामान्य)2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्चरमेंट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

999/2023

- ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xiii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या -4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या- I/121678/2023 दिनांक 12 मई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar

Date: 18-05-2023 13:07:36

(विनीत कुमार)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद टिहरी गढ़वाल।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

1999/2023

ई पत्रावली संख्या- 49198 का संलग्नक

धनराशि (लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (मी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत उत्तरकाशी-लम्बगांव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एस0एच0-15) के कि0मी0 87 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	48 Mtr	12.96	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत उत्तरकाशी-लम्बगांव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एस0एच0-15) के कि0मी0 110 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	24.50 mtr.	7.59	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत उत्तरकाशी-लम्बगांव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एस0एच0-15) के कि0मी0 102 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	30.50 mtr.	8.23	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत कमद-धौन्तरी-अंयारखाल- बुढाकेदार-चमियाला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-73) के कि0मी0 35 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	02 Brdg	19.50	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "वृक्ष मानव" श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-19) के कि0मी0 12 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	16mtr.	4.96	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "वृक्ष मानव" श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-19) के कि0मी0 15 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (	7mtr.	2.17	0.10

2999/2023

	RFQ एवं TOR के अनुसार)			
7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "वृक्ष मानव" श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-19) के कि०मी० 48 है०मी० 2-4 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	12 mtr.	3.72	0.10
8.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-30) के कि०मी० 21 है०मी० 6-8 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	9 mtr.	2.79	0.10
9.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-72) के कि०मी० 83 (चैनेज 82.100) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18 Mtr	5.40	0.10
10.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-72) के कि०मी० 83 (चैनेज 82.600) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18 Mtr	5.40	0.10
11.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-72) के कि०मी० 84 (चैनेज 83.625) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	17 Mtr	5.10	0.10
12.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-72) के कि०मी० 94 (चैनेज 93.225) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	17 Mtr	5.10	0.10
13.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-72) के कि०मी० 96 (चैनेज 95.100) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18 Mtr	5.40	0.10
14.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौली के विकासखण्ड थौलधार के अन्तर्गत सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-72) के कि०मी० 96 (चैनेज 95.100) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	36 Mtr	9.72	0.10

2999/2023

	नौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "वृक्ष मानव" श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-19) के कि०मी० 9 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)			
15.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "वृक्ष मानव" श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-19) के कि०मी० 50 है०मी० (8-10) में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	36 Mtr	9.72	0.10
16.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-धनौल्टी के विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-30) के कि०मी० 21 है०मी० 8-10 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	24.50 Mtr	7.60	0.10
17.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव- मोटाना-रजखेत-सेन्दुल (राज्य मार्ग सं-69) मोटर मार्ग कि०मी०-33 में कंगसाली गांव में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18 Mtr	5.40	0.10
18.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव- मोटाना-रजखेत-सेन्दुल (राज्य मार्ग सं-69) मोटर मार्ग कि०मी०-39 में कठुली गांव में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	16 Mtr	4.80	0.10
19.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव- मोटाना-रजखेत-सेन्दुल (राज्य मार्ग सं-69) मोटर मार्ग कि०मी०-81 में सेन्दुल के समीप पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	36 Mtr	9.36	0.10
20.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव- मोटाना-रजखेत-सेन्दुल (राज्य मार्ग सं-69) मोटर मार्ग कि०मी०-02 में नौघर में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	36 Mtr	9.36	0.10
21.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव- मोटाना-रजखेत-सेन्दुल (राज्य मार्ग सं-69) मोटर मार्ग कि०मी०-08 में पटुड	18 Mtr	5.40	0.10

2999/2023

	ी में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)			
22.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकासखण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत लम्बगांव- मोटाना-रजाखेत-सेन्दुल (राज्य मार्ग सं-69) मोटर मार्ग कि०मी०-08 में पटुडि में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर डेढ़ लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	02 Brdgs 12 Mtr 2 4 Mtr	10.80	0.10
23.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-नरेन्द्रनगर में नरेन्द्रनगर रानीपोखरी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-77) के कि०मी० 8 एवं कि०मी० 17 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर डबल लेन क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	02 Brdgs 36, 30 M tr	12.96	0.10
	कुल योग:-	-	173.44	2.30

(रु दो लाख तीस हजार)

Signed by Shyam Singh
Date: 18-05-2023 17:50:49

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/122999/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23050220051
 आवंटन पत्र दिनांक-19-MAY-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-

800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					670000	230000	0	900000				
योग					670000	230000	0	900000				

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,30,000 (Rupees Two Lacs
 Thirty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 654 / 20 याता0'क'नियो0-1 / 2023

दिनांक-23.05.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता 8 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।